न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 46/2023
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 07.06.2024

1. बजरंग पुत्र श्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. भंवरलाल पुत्र श्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
2. गणेश पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
3. रामराय पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
4. शिवदयाल पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
5. हनुमान पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
6. हीरा पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
7. रामजीवण पुत्र माधो जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला
8. रामचरण पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
9. श्योजीराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
10. रामसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी पालडी तहसील फागी जिला जयपुर
11. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज ।
12. उपतहसीलदार नीमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर राज ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री शिवराज चौधरी वकील प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील अप्रार्थी 1, 2, 4, 5, 6
श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील अप्रार्थी संख्या 7, 10

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल0आर0 एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

निर्णय दिनांक:– 07.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी से 50 के आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, 462/2 रकबा 2.8451 कुल किता 2 कुल रकबा 3.2245 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पालडी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार................2

के कब्जे काश्त की भूमि में मेरकोर की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमांक / भूअ / 23 / 389 दिनांक 01 / 06 / 2023 की पालना में दिनांक 15 / 06 / 2023 को पटवारी हल्का लसाडिया से सीमाज्ञान करवाया गया। पटवार हल्का द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे अनुसार उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश की पालना में हुये सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुये सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर पालना रिपोर्ट उपतहसीलदार नीमेडा के यहाँ प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा न मानकर अनदेखी कर मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थीगण द्वारा विधिवत सीमाज्ञान करवाये तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को कब्जे काश्त खातेदारी आराजी भूमि में मजाहमत करते है। क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 एवं आदेश क्रमाक / भू.अ. / 23 / 389 दिनांक 01 / 06 / 2023 को उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई—झगडा व मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 एवं उपतहसीलदार नीमेडा, तहसील फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 05, 06 की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर व अप्रार्थी संख्या 07 व 10 की तरफ से वकील श्री गोविन्द सिंह पंवार उपस्थित आये।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

लगातार..............3

अप्रार्थीगण संख्या 03, 08, 09, 11, 12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए तथा इनके विरूद्ध दिनांक 23.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण सं0 01, 02, 04, 05, 06 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का जबाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण सं0 01, 02, 04, 05, 06 का जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

अप्रार्थीगण सं0 07, 10 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया कि अप्रार्थीगण आराजी भूमि पर काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी भूमि की मेर कोर व सीमाओं को लेकर कभी कोई विवाद एवं झगडा नहीं किया है. तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमाक/भू.अ./23/389 दिनांक 01/06/2023 की पालना में दिनांक 15/06/2023 को पटवारी हल्का लसाडिया से सीमाज्ञान करवाया हो उसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। न ही सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम पालडी, पटवार हल्का लसाडिया तहसील फागी पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर व अगूठा निशानी है। उक्त सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट अप्रार्थी से 7 व 10 की अनुपस्थिति में बनाई गई है. न ही अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान के कायम किये गये निशानात को मिटाया है और न ही अप्रार्थीगण को उक्त सीमाज्ञान की सूचना व रिपोर्ट दी गई। उक्त वाक्या कपोल कल्पित व हास्यपद है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी भूमि में काश्त करने में मजाहमत नहीं की न ही उनकी आराजी भूमि पर कब्जा किया है। उक्त वाक्या मनगढ़त व बनावटी है जो अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थीगण ने कभी भी सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को नहीं मिटाया है न ही प्रार्थीगण से लडाई झगडा व मेर कोर को लेकर कोई विवाद उत्पन्न किया है प्रार्थीगण ने झूठा व मनगढ़त वाक्या पेश किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 15/06/2023 एवं उपतहसीलदार नीमेडा तहसील फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15/06/2023 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होती है क्योंकि सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना जानकारी के की

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

गई है तथा बिना सूचित किये एकतरफा सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि अप्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि के पडौसी खातेदार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 व उपतहसीलदार नीमेडा तहसील फागी के द्वारा पारित आदेश क्रमांक / भू.अ. / 23 / 389 दिनांक 01 / 06 / 2023 की पालना के अनुसार पटवारी हल्का लसाडिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15 / 06 / 2023 के मुताबिक खतौनी से 50 की आराजी खसरा नं. 164 रकबा 0.3794 हैक्टेयर खसरा नं. 482 / 2 रकबा 2.8451 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2245 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पालडी पटवार हल्का लसाडिया, भूअभि. नि. क्षेत्र मैंदवास, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि का उक्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पालड़ी में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075–2078 वाके ग्राम पालड़ी के खाता संख्या 50 के खसरा नंबर 164 व ख0नं0 462 / 2 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 15.06.2023 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपसी सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो से विवाद होना बताया है। पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु उभय पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खतौनी सं. 50 के आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, 462 / 2 रकबा 2.8451 कुल किता 2

लगातार................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

कुल रकबा 3.2245 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पालडी, पटवार हल्का लसाडिया भूअभिनि क्षेत्र मैंदवास तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुना गया।

7/6/24

(राकेश कुमार ॥)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू